विजय कुमार ,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 42 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक:अक्टूबर 15,2023

विषयः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 482 संख्या-9383/2023 शेरबहादुर निषाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.10.2023 के अनुपालन में महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध कारित यौन अपराधों की विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) का निर्धारण।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सहमत होगे कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किये जाने वाले यौन अपराध की घटनाएँ अत्यन्त निन्दनीय है, जिनकी रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इन अपराधों की रोकथाम हेतु परिपत्र निर्गत किये गये है, जिनका उल्लेख पार्श्वांकित बाक्स में किया जा रहा है। महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध कारित यौन अपराधों पर समाज में व्यापक प्रतिक्रिया होती है तथा इस प्रकार के अपराधों को रोक पाने की पुलिस की क्षमता पर भी मीडिया द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं। आप सभी सहमत होंगे कि महिलाओ एवं बच्चों के विरुद्ध कारित किये जाने वाले यौन अपराधों का दुष्प्रभाव पीड़ित के अतिरिक्त उसके परिवार और सम्पूर्ण समाज पर पडता है। यौन अपराधों को नियंत्रित किये जाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए, उन्हे न्यायालय से कठोरतम दण्ड दिलाया जाये।

1. डी0जी0परिपत्र-38/14, दि0-09.06.2014
2. डी0जी0परिपत्र-51/14, दि0-16.08.2014
3. डी0जी0परिपत्र-02/15, दि0-10.01.2015
4. डी0जी0परिपत्र-04/15, दि0-14.01.2015
5. डी0जी0परिपत्र-44/15, दि0-15.06.2015
6. डी0जी0परिपत्र-10/16, दि0-22.02.2016
7. डी0जी0परिपत्र-20/16, दि0-13.04.2016
8. डी0जी0परिपत्र-16/18, दि0-21.04.2018
9. डी0जी0परिपत्र-23/19, दि0-19.06.2019
10. डी0जी0परिपत्र-33/19, दि0-29.07.2019
11. डी0जी0परिपत्र-28/21, दि0-19.08.2021

महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध कारित किये जाने वाले यौन अपराधों की विवेचना एक जटिल विषय है, जिसमे साक्ष्य संकलन के साथ-साथ यह भी आवश्यक होता है कि साक्ष्य संकलन के दौरान पीड़ित एवं उसके परिवार के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए अत्यन्त सतर्कता के साथ कार्यवाही की जाये, जिससे पीड़ित और उसके परिवार की मनोदशा तथा सामाजिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा पर भी कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यौन अपराधों की विवेचना

.....2

के सम्बन्ध में संगत विधियों में अनेक आज्ञापक प्रावधान जोड़े गये हैं तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका पालन किया जाना भी अनिवार्य है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध कारित यौन अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु 60 दिवस की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि इस प्रकार के अपराधों की विवेचना विशेष प्राथमिकता पर मिशन मोड में सम्पादित करते हुए न्यूनतम समय में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाये और प्रभावी पैरवी करते हुए द्रुत गति से विचारण कर दोषियों को न्यायालय से कठोर दण्ड से दण्डित कराया जा सके तो इस प्रकार के दण्ड का deterrent प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ेगा तथा अपराधियों में भी भय उत्पन्न होगा, जिससे अन्य अपराधी भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित करने से विरत होगे।

किसी भी अभियोग की त्वारित विवेचना किये जाने की स्थिति में एक सम्भावना यह होती है कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन में कुछ कमी रह जाये, जिसका लाभ अन्ततः अभियुक्त को ही मिलता है। विवेचना में कमी रह जाने की सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विवेचना के दौरान होने वाली छोटी-छोटी कमियों को दूर करते हुए साक्ष्य संकलन हेतु विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को मार्गदर्शन करना है। मुख्यालय स्तर पर तैयार की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में अंकित बिन्दु आप के मात्र मार्गदर्शन हेतु है इसके अतिरिक्त भी स्थानीय परिस्थितियों, प्रकरण विशेष की विशिष्टताओं आदि के कारण विवेचना के दौरान इस SOP में अंकित बिन्दुओं से इतर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हो सकते है, जिनका निराकरण स्वाविवेक से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

अवयस्क(बालक/बालिकाओं) के विरुद्ध अपराध कारित किये जाने की दशा में पीड़ित का आयु निर्धारण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा। पर्यवेक्षण अधिकारी इस बात का सूक्ष्मता से अनुश्रवण करेगे कि पीड़ित की आयु के निर्धारण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया गया है, जिससे पॉक्सो अधिनियम के प्राविधानों के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तथा मुख्यालय स्तर से इस विषय पर पूर्व में निर्गत निर्देशों/परिपत्रों का गहनता से अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों एवं विवेचकों को विस्तार से अवगत करा दें और यह भी

.....3

सुनिश्चित करें कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कारित यौन अपराधों की विवेचना में इस मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) का कड़ाई से अनुपालन करते हुए न्यूनतम समय में विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। पर्यवेक्षण अधिकारी जनपद न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर इन अभियोगों का दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारण सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को न्यायालय से कठोर दण्ड दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कारित इन जघन्य प्रकृति के अपराध के दोषियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने से समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध कारित यौन अपराधों की विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

क्र.सं.	कार्यवाही	समय सीमा
1.	**प्रथम सूचना रिपोर्ट** • धारा- 154 सीआर.पी.सी.के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए • एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी • प्राथमिकी, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के नाते, सबसे बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी व तथ्य शामिल हों जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़े हों तथा जिनके महत्वपूर्ण साक्ष्य बनने की संभावना हो। • पीड़ित राज्य या जिले के किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इसके बाद, इसे संबंधित राज्य या पुलिस स्टेशन को जांच के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। (स्कैनिंग सहित ऑडियो-विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग सूचनाओं को जल्द से जल्द प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है।) • धारा 154 Cr.P.C. की उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति पीड़ित या सूचनाकर्ता को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जायेगी। • यदि ऐसी प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी होती है, तो विलम्ब का कारण तथा स्पष्टीकरण एफआईआर में अंकित किया जाना चाहिए। • पीड़ित के लिए इसे आसान बनाने हेतु आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए • चूंकि बलात्कार के मामले गंभीर/विशेष रिपोर्ट वाले मामले हैं, अतः इन मामलों में विशेष रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को नियमानुसार प्रेषित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा एस.आर. पत्रावली पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। • डीसीपी/जोन के प्रभारी/जिला एसपी जांच करने और साक्ष्य एकत्र करने में समय पर जांच अधिकारी को समय-समय पर उचित निर्देश/मार्गदर्शन देंगे। • खेम चंद और अन्य बनाम राज्य(दिल्ली उच्च न्यायालय) के मामले में दिये गये निर्देश के अनुसार एफआईआर की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए।	तत्काल
2.	**पीड़िता के साथ व्यवहार** • ऐसे अपराध के शिकार लोगों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। • अधिकारी को उसके (पीड़ित) साथ बातचीत करते हुए अत्यंत विनम्र होना चाहिए। पीड़िता से कोई अभद्र सवाल नहीं करना चाहिए। गरिमा की रक्षा और पीड़िता के लिए शर्मनाक स्थिति को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। • यदि पीड़िता के साथ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो ऐसे अपराध की सूचना तत्काल उसके परिवार को दी जानी चाहिए • पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी पहचान उजागर न हो। हालांकि, ऐसे पीड़ित का नाम और फोटो केस डायरी में विवेचना/अग्रिम विवेचना के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है।	

3.	<u>जहां पीड़ित अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो</u> • यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कथित तौर पर अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, वह अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के निवास पर या किसी सुविधाजनक स्थान पर ऐसे व्यक्ति की पसंद, एक दुभाषिया या एक विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, तो ऐसी सूचना को दर्ज किया जाएगा। • ऐसी सूचनाओं की रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी की जाएगी।	
4.	<u>यदि पीडिता भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि की है।</u> • मामले में, पीड़ित एक अलग भाषाई पृष्ठभूमि का है, तो बयान/एफआईआर दर्ज करने के लिए, जांच के दौरान, अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले पीड़ित के लिए एक दुभाषिया उपलब्ध कराया जा सकता है।	
5.	<u>अगर पीडिता नाबालिग है।</u> • मामले में, जहां पीड़िता नावालिग है, उसके बयान या प्राथमिकी दर्ज करते समय माता-पिता की सहमति और उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। यदि अभिभावक उपलब्ध नहीं है, तो वयान या प्राथमिकी दर्ज करते समय किसी गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि या वाल कल्याण समिति के सदस्य की सहमति और उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। • विवेचक साक्षात्कार/जांच के दौरान सादे कपड़े पहनेंगे (पोक्सो अधिनियम की धारा-24(2) के अनुसार) • पुलिस अधिकारी, वच्चे की जांच करते समय, यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा किसी भी समय, किसी भी तरीके से आरोपी के संपर्क में न आये। (धारा-24 (3) और 36, POCSO अधिनियम सपठित धारा-273, Cr.P.C.के अनुसार) • जहां, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को अधिसूचित किया जाता है और परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, कि जिस बच्चे के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, वहां लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद, रिपोर्ट के चौवीस घंटे के भीतर, जैसा कि उपयुक्त मामलों में निर्धारित किया जा सकता है, उसे आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में वच्चे को भर्ती करने सहित, उसकी देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कानूनी अभिभावक को खोजने के लिए जांच करना, मामले के तथ्यों के अनुसार, तत्काल व्यवस्था करेगा। • पुलिस अधिकारी किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को रात में थाने में नहीं रोकेगा (धारा-24(4), POCSO अधिनियम)। • यदि पीड़ित नाबालिग है और निकट सम्वन्धी के अनाचार का शिकार होता है, तो उसे कथित/संदिग्ध आरोपी की हिरासत से हटा दिया जाना चाहिए और बाल संरक्षण आश्रय में ले जाया जाना चाहिए और बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करते हुए एक रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर भेजी जानी चाहिए। • यदि पीड़िता के पास रहने का स्थान नहीं है, तो उसे आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।	
6.	<u>धारा 157, Cr.P.C का अनुपालन।</u> • सीआरपीसी की धारा 157 के तहत एफआईआर की एक कॉपी तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।	24 घण्टे
7.	<u>विवेचना</u> विवेचनाधिकारी	तत्काल

	• जहां तक संभव हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। जब भी आवश्यक हो, जांच दल का गठन किया जाना चाहिए,, जिसमें तीन से चार अनुभवी पुलिस कर्मी शामिल हों, जिनमें से एक को मुख्य विवेचक के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, बलात्कार के मामले की जांच आमतौर पर एक वरिष्ठ और अनुभवी पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है।	
8.	<u>धारा 161, Cr.P.C के तहत पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग।</u> • पीड़िता से बात करते समय उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए। यथाशीघ्र पीड़ित की भाषा में घटना का उचित विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। • पीड़िता को थाने नहीं बुलाया जाना चाहिए। • जांच अधिकारी को सादे कपड़ों में उसके घर जाना चाहिए और पीड़िता से इस तरह से जानकारी हासिल करने का ध्यान रखना चाहिए कि वह शांत और संयमित रहे। • पीड़िता का बयान पीड़िता के निवास स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा माता-पिता या अभिभावकों या किसी निकट संबंधी या इलाके के किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। • POCSO अधिनियम के तहत मामलों में, ऐसे बयान दर्ज करते समय पीड़िता के माता-पिता / अभिभावकों की उपस्थिति की अनुमति दी जानी चाहिए। • उचित मामलों में जहां पीड़िता देश/विदेश से है या जब भी किसी जांच के दौरान, जांच अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गवाह की परीक्षा आवश्यक है और ऐसे गवाह का बयान, विलम्ब, असुविधा या ऐसी राशि के व्यय, जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, बिना किए नहीं रिकार्ड किया जा सकता है, विवेचना अधिकारी, अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसे गवाह का बयान अंकित कर सकता है। <u>बयान की वीडियोग्राफी</u> • यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, या पीड़ित अलग भाषाई पृष्ठभूमि का है, तो दुभाषिया या विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता से किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की वीडियोग्राफी की जा सकती है।	तत्काल
9.	<u>धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान</u> • जैसे ही अपराध कारित किया जाना पुलिस के संज्ञान में लाया जाता है, जांच अधिकारी/एसएचओ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करे, जिसके विरुद्ध इस तरह का अपराध किया गया है, जैसा कि धारा 164 की उप-धारा (5-ए), Cr.P.C. में प्राविधानित है। • जांच अधिकारी धारा 164, सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के उद्देश्य से पीड़िता को किसी भी महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। • धारा 164, Cr.P.C के तहत बयान की एक प्रति इस विशेष निर्देश के साथ जांच अधिकारी को तुरंत सौंप दी जानी चाहिए कि धारा 164, सीआरपीसी के तहत दर्ज किये गये इस बयान का, धारा 173, Cr.P.C के तहत चार्जशीट /पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक किसी भी व्यक्ति के सामने खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।	तत्काल

	• जांच अधिकारी विशेष रूप से उस तारीख और समय को रिकॉर्ड करेगा जब उसे बलात्कार के अपराध के बारे में पता चला और जिस तारीख और समय पर यह पीड़िता को मेट्रोपोलिटन/न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले गया। • पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए जो धारा 164, सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करता है। • पीड़ित को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 24 घंटे से अधिक की देरी के मामलों में, जांच अधिकारी को केस डायरी में इसके कारणों को दर्ज करना चाहिए और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को सौंपनी चाहिए। • POCSO अधिनियम, 2012 के तहत मामलों में, POCSO अधिनियम की धारा - 26 (1), POCSO अधिनियम के अनुसार ऐसे बयानों की रिकॉर्डिंग के समय पीड़ित के माता-पिता / अभिभावकों की उपस्थिति की अनुमति दी जानी चाहिए। <u>बयान की वीडियोग्राफी</u> • यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, या उसकी एक अलग भाषाई पृष्ठभूमि है, तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता से व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।	
10.	<u>मृत्युकालिक घोषणा</u> • मृत्यु पूर्व कथन मजिस्ट्रेट या डॉक्टर के समक्ष दर्ज किया जा सकता है और यदि संभव न हो तो धारा-161, Cr.P.C के तहत इसकी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।	तत्काल
11.	<u>धारा 161, Cr.P.C के तहत प्रासंगिक और तथ्य के गवाह का बयान।</u> • सभी प्रासंगिक और तथ्य के गवाहों का तुरंत बयान दर्ज किया जायेगा। विशेष रूप से ऐसे गवाह, जो पीड़ित के चिल्लाने की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे हो, यदि कोई हो तो उनका बयान अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। • यदि पीड़ित अस्वस्थ है/घटना को बताने में असमर्थ है/या एक नाबालिग जो समझ नहीं सकता है या सदमे में है, पीड़ित की इस स्थिति के कारण उनके अगले रिश्तेदार या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है तो प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति का स्वतंत्र गवाह के रूप में बयान दर्ज किया जाना चाहिए। • पुलिस को चाहिए कि वह पीड़ित के निकटतम संबंधियों का बयान दर्ज करे और यदि उन्होंने साक्ष्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण देखा है तो उन्हें उचित रूप से अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया जाए। <u>धारा 164, Cr.P.C के तहत गवाह का बयान।</u> • उपयुक्त मामलों में, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान धारा 164, Cr.P.C के तहत दर्ज किए जाएंगे। विशेष रूप से POCSO अधिनियम के तहत मामलों में, पीड़ितों के माता-पिता/अभिभावकों और सूचनाकर्ता के बयान दर्ज किए जाने चाहिए। <u>बयान की वीडियोग्राफी</u> • यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, या एक अलग भाषाई पृष्ठभूमि से है, तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता से व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।	तत्काल
12.	<u>न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र</u> • विवेचक को शिकायतकर्ता एवं अन्य गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो कर साक्ष्य देने के लिए द.प्र.सं. की धारा-170 के अन्तर्गत बन्ध पत्र प्राप्त करना चाहिए।	बयान दर्ज करने के तत्काल बाद

13.	<u>पीड़िता का मेडिकल परीक्षण</u> • धारा 164 (ए), सीआरपीसी। जांच अधिकारी की ओर से ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बलात्कार पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराने की बाध्यता लागू करता है। • इस तरह की मेडिकल जांच की रिपोर्ट आईओ द्वारा तुरंत मजिस्ट्रेट को भेज दी जानी चाहिए, जो धारा 164, सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करता है। • पीड़िता के साथ-साथ आरोपी व्यक्ति को भी विवेचक द्वारा मेडिकल मेमो तैयार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। महिला पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण केवल महिला चिकित्सक द्वारा या उसकी देखरेख में किया जाएगा। • 18 वर्ष से अधिक आयु की बलात्कार पीड़िता की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही उसकी जांच की जा सकती है और यदि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है (पॉक्सो अधिनियम की धारा-27 के अनुसार) या अस्थायी/स्थायी रूप से मानसिक रूप से अक्षम है, तो उसे उसके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही जांच की जायेगी। उपयुक्त मामले में ऐसी सहमति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। • ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता या उसके माता-पिता/अभिभावक को प्रस्तुत की जाएगी।	24 घण्टे के भीतर
14.	<u>आयु निर्धारण</u> पोक्सो अधिनियम के तहत सभी मामलों में, पीड़ित की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। (धारा -34, पॉक्सो अधिनियम सपठित किशोर न्याय अधिनियम)	तत्काल
15.	<u>साक्ष्य का संकलन</u> घटनास्थल • घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का निरीक्षण और संग्रह एक मामले की सफल जांच और अभियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घटनास्थल की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना, ताकि उपलब्ध साक्ष्यों में गड़बड़ी न हो, विवेचक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा। • घटनास्थल का पूरी तरह से दक्षिणावर्त(Clockwise) निरीक्षण किया जाना चाहिए और मौके से अधिक से अधिक साक्ष्य एकत्र करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। • मौके पर मिले अंगुलियों/पैरों के निशान और बाल, रक्त, वीर्य, शरीर के तरल पदार्थ, आभूषण आदि सहित अन्य प्रासंगिक वस्तुओं को उठाने के लिए वैज्ञानिक टीमों को बुलाया जाना चाहिए। • घटनास्थल का सभी कोणों से फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए। • चूंकि घटना स्थल का नक्शानजरी (Spot Map) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे ठीक से तैयार किया जाना चाहिए, जो मौके पर पाए गए सामानों के बीच की दूरी को दर्शाता है। गवाहों की स्थिति, यदि कोई हो, दिखाई जानी चाहिए। • प्रदर्शों (Exhibits) की chain of custody भंग न होने को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। • यदि दांत और काटने के निशान पाए गए हैं, तो संबंधित परीक्षा के लिए आरोपी को दंत विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए।	तत्काल
16.	<u>इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य</u> • इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कई रूपों में उपलब्ध है जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल विवरण आदि, और यह सभी उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए उपयोगी होगा।	तत्काल

	सीसीटीवी फुटेज विशेष रूप से उपयोगी है। विवेचक जब भी उपलब्ध हो, सभी सीसीटीवी फुटेज तत्काल एकत्र करें। • प्राथमिक साक्ष्य एकत्र करने पर ध्यान देना चाहिए। अकेले फुटेज के बजाय, हार्ड डिस्क और संबंधित मेमोरी डिस्क को भी एकत्र किया जाना चाहिए। प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के संदर्भ के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 तथा 65-बी का संदर्भ लिया जाना चाहिए। <u>इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रमाण</u> • भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत निर्धारित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साबित करने की आवश्यकता होगी।	
17.	<u>प्रदर्शों का वैज्ञानिक और रासायनिक परीक्षण</u> • एकत्रित/उठाई गई वस्तुओं को ठीक से पैक/संरक्षित, सीलबंद किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके रासायनिक विश्लेषण के लिए एफएसएल को भेजा जाना चाहिए। संवेदनशील मामलों में, पर्यवेक्षी अधिकारियों को सलाह के रूप में रिपोर्टिंग के उसी दिन कार्रवाई की योजना जारी करनी चाहिए। • उपयुक्त मामलों में, डीएनए विश्लेषण किया जाना चाहिए। • प्रदर्शों की अभिरक्षा की श्रृंखला (chain of custody) को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए।	तत्काल
18.	<u>संदिग्ध की गिरफ्तारी</u> • अपराध के संदिग्ध को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। • अगर संदिग्ध ने खुद को छुपाया है या फरार/गिरफ्तारी से बच रहा है तो विवेचक संदिग्ध की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए अदालत से अनुरोध करेगा। • यदि गिरफ्तारी वारंट निष्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वह फरार हो गया है, या खुद को छुपा रहा है, तो विवेचक Cr.P.C की धारा 82 और 83 के अनुसार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित करने और ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए कदम उठाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करेगा। <u>फरार आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 174.ए के तहत कार्यवाही</u> यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध Cr.P.C. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की गई है। जारी किया गया है, निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है और इस तरह की उद्घोषणा के लिए आवश्यक निर्दिष्ट समय, विवेचक को आईपीसी की धारा 174.ए के तहत अपराध के लिए संबंधित अदालत में जाना चाहिए। <u>जब आरोपी पीड़िता को नहीं जानता हो</u> • पीड़ित से अभियुक्त का विवरण पता किया जाना चाहिए और संदिग्ध का एक चित्र तुरंत तैयार किया जाना चाहिए और परिचालित किया जाना चाहिए। • अभियुक्त का 'लुक आउट' संदेश वायरलेस पर फ्लैश किया जाना चाहिए। • संदिग्ध के लिए स्थानीय गुप्त/खुली पूछताछ की जानी चाहिए।	तत्काल
19.	<u>संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया</u> • संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद, सीआरपीसी की धारा 41, 41-ए, 41-बी, 41-सी, 41-डी, 46, 49, 50 और 51 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। • कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक लंबी अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखेगा। • संदिग्ध से पूछताछ के दौरान अनुभवी पुलिस अधिकारियों को टीम में लिया जा सकता है।	तत्काल

	• पीडित द्वारा लगाये गये आरोप के तथ्यों का खंडन या पुष्टि, पूरी परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद और पीड़ित की मनोस्थिति पर इस प्रक्रिया से होने वाले दुष्प्रभाव (trauma) की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। • धारा 53-ए, Cr.P.C के अनुसार, संदिग्ध को उसके शरीर पर पाए गए चोट, खरोंच या नाखून के निशान आदि का विवरण देने वाली चोट की शीट के साथ चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। • अपराध के समय पहने गए अभियुक्तों के निजी कपड़ों को जब्त कर जांच के लिए एफएसएल भेजा जाए। • कथित अपराध को करने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता को साबित करने के लिए अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए।	
20.	<u>शिनाख्त परेड।</u> • जब किसी आरोपी को, जो पीड़िता को नहीं जानता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उचित पूछताछ और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पहचान के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। अदालत से पहचान की कार्यवाही के लिए जल्द से जल्द तारीख तय करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। • यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियुक्त को न्यायालय में पेशी के लिए ले जाते समय उसका चेहरा ढका हुआ हो। • यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि पहचानकर्ता अभियुक्त की पहचान, उन विधियों का उपयोग करके कर सके, जिनसे पहचानकर्ता सहज हो। <u>पहचान की वीडियोग्राफी</u> • पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। हालांकि, अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य की जाएगी।	तत्काल
21.	<u>जमानत अर्जी</u> • अभियोजन पक्ष द्वारा प्रासंगिक आधारों के साथ जमानत आवेदन का विरोध किया जाएगा। • यदि अभियुक्त द्वारा, या अभियुक्त की ओर से, अदालत के समक्ष कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो यह संबंधित अभियोजक/जांच अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पीड़िता को उचित समय के भीतर ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करे, ताकि अगर वह चाहती है तो उसे इस तरह के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्राप्त हो सके।	तत्काल
22.	<u>साक्षी सुरक्षा</u> सभी मामलों में, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पीड़िता और उसके परिवार या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखती है, आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से धमकी या प्रलोभन न दिया जाए।	
23.	<u>आरोप पत्र प्रस्तुत करना</u> • महिलाओं के विरुद्ध सभी अपराधों की तुरंत जांच की जाएगी और धारा 173 Cr.P.C के अनुसार ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की अधिकतम सीमा साठ दिनों की है किन्तु शीघ्र अतिशीघ्र आरोप पत्र दाखिल किये जाने से आरोपियो के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शीघ्रता से प्रारम्भ की जा सकती है। • किसी भी समय जांच की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों की स्वचालित रूप से उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी द्वारा निगरानी की जानी चाहिए,	न्यूनतम समय में।

	जिसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित दिन-प्रतिदिन की जांच से खुद को जोड़ना चाहिए। चार्जशीट के आदेश उचित परीक्षण के बाद जारी किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच और बाद के अभियोजन में कोई कमी या चूक न हो। • विवेचक/एसएचओ यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी भौतिक दस्तावेज जैसे कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, शिनाख्त रिपोर्ट, प्रासंगिक केस डायरी/जी.डी. आदि चार्जशीट के साथ शामिल हैं। • चार्जशीट दाखिल करने से पहले अभियोजन अधिकारी के विचार और राय ली जानी चाहिए। • आरोप पत्र की अग्रिम प्रति अभियोजक को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। • चार्जशीट की एक प्रति पीड़ित या सूचनाकर्ता को निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	
24.	<u>न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक/SHO का कर्तव्य</u> • एक अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, आदर्श रूप से मामले के विवेचक को मामले के विचारण की प्रगति की निगरानी के लिए नियुक्त किया जायेगा, जो विचारण की प्रत्येक तिथि पर एक प्रगति रिपोर्ट एसपी सहित पर्यवेक्षी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। • लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक द्वारा ब्रीफिंग के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को समय पर पेश करना सुनिश्चित करना विवेचक की जिम्मेदारी है। वह परीक्षण के समय सभी प्रासंगिक अभिलेखों और भौतिक वस्तुओं की भौतिक उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। • गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन की तामील की निगरानी की जानी चाहिए।	
25.	<u>पीड़ित का पुनर्वास</u> • बलात्कार पीड़ितों को पुनर्वास में मदद की आवश्यकता, पुनर्वास में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहित पीड़ित की स्थिति के चार पहलुओं में से प्रत्येक का ध्यान रखना होता है। यदि पीड़िता के पास रहने का स्थान नहीं है, तो उसे आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। • पीड़ित को सामाजिक कलंक और परिवार से संभावित अलगाव का शिकार होने की संभावना है तो पीड़िता और परिवार के सदस्यों को आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। • पीड़ित राज्य सरकारों द्वारा संचालित 'पीड़ित मुआवजा योजना' के तहत मुआवजे का हकदार है। पीड़ित को मुआवजा प्राप्त करने के लिए संबंधित योजना के प्रावधान से अवगत कराया जाना चाहिए।	तत्काल
26.	<u>मीडिया ब्रीफिंग मे सावधानियां</u> • यौन अपराध व्यापक मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। यौन अपराधों के बारे में मीडिया को जानकारी देते समय पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। किसी भी हालत में पीड़िता को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए। अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को ब्रीफ करें। • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले की जांच करने वाले किसी भी पर्यवेक्षक अधिकारी को मीडिया सहित किसी को भी मामले/पीड़ित (पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट आदि) की जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए।	